कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृखला के वरिष्ठ अध्यापक , **विशेष शिक्षा** (अंग्रेजी) के पदो पर निम्नांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्व चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथी से नियमानुसार पे बेण्ड पीबी–2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200 में उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाताहै । पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा ।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 07–11–2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जावेंगा। संस्था प्रधानो को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नही करना चाहता है तो संबधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 09–11–2017 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें ।

संबधित संस्था प्रधान/ कार्यालयध्यक्ष कार्मिकें से निम्नांकित धोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही पदोन्नति पर कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करायेगें ।

1. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) डीओपी/ ए–11/95 दिनांक 20–06–2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही है ।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाये अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।
3. संबधित कार्मिक स्नातक योग्यता में **विशेष शिक्षा** (अंग्रेजी) ऐच्छिक विषय एवं बीएड योग्यता रखते है ,प्रमाणन हेतु उक्त विषय में स्नातक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति सूचना के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप भिजवायेगें एवं उक्त विषय में पदोन्नति की सूचना संबधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकित करेगें। यदि संबधित कार्मिक के विरूद्व विभागीय जॉच चल रहीहै /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावें एवं संबधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबध में इस कार्यालय को सूचित करेगें ।

निम्नांकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेंगी । यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गये है तो इनके परिवर्तित /वर्तमान स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावें ।

अयोग्य/अपात्र कार्मिकों की सूचना तत्काल रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय एवं संबधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को सूचित करेगें ।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक	कार्यरत स्थान	जिला	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	**19**	**11-12.**	अरविन्द कुमार शर्मा	डीपीसी एसएसए स.मा.	**SM**	**10/7/1979**	–	17–18	राउमावि खण्डार , स0मा0

(किशन लाल देवतवाल)
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांकः–उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था–1/फा–पदो0/व0अ0/वि0शिक्षक/2017–18/ 430 दिनांक :– 28–10–2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1.सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2.उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप–2 शासन सचिवालय जयपुर
3.निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर
4.उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
5.संबधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक ....
6.संबधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ....
7. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
8.संबधित संस्था प्रधान
9.संबधित कार्मिक
10.रक्षित पत्रावली
11.नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर